1.1.21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार/प्रार्थी उप० व बहस प्रा० पर सुनी। वास्ते आदेश 19.1.21 को पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित की बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् अर्थात प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी	

-क्रमश-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार जिनको हुक्म की तामील में जारी
	पर विचार किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहरा कर प्रा० पत्र स्वीकार करने के कथन किये। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आदि पर सम्यक विचार किया गया। प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम सालावेडी के ख० नं. $\frac{344}{0.57}$ व $\frac{403}{0.52}$ एवं ग्राम रघुनाथपुरा की कृषि ख० नं. 295, 296, 323, 401, 82, 324 किता 6 की 0.68 हैक्टर कृषि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त कृषि पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के विरुद्ध मदाखलत मजाहमत नहीं करें आदि। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एक तरफा बहस प्रा० पक्ष सुनी गई। हस्ब जमाबंदी ग्राम सालावेड़ी 2012-2015 खाता नं. 118 एवं ग्राम रघुनाथपुरा जमाबंदी	

प्रधान ... कार्यालय

... ग्राम ... जी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सं० 2021-24 खाता नं: 11 पर दर्ज वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि प्रार्थी, गोपाल, पुत्र हीरा, देवबाई प० हीरा, व लक्ष्मनारायण पुत्र हीरा के नाम पर समभाग में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा० पत्र में स्वयं के अलावा मात्र लक्ष्मनारायण को ही पक्षकार बनाया है। अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बना कर भी अस्थाई आदेश चाहा है।

हस्ब जमाबंदी अप्रार्थी-1 वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी के समान हिस्से पर सहखातेदार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एकमात्र प्रार्थी का नहीं पाया जाता है।

प्रार्थी द्वारा स्वयं कथन किये है, कि उसका प्रकरण वर्णित उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त हिस्से पर ही वह काबिज है तथा बकाया सहखातेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। वैसे भी सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने स्वत्व तक कब्जा माना जाता है। वादी प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रार्थी के कथनानुसार ही अप्रार्थी/सहखातेदार को अपनी भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रकरण वर्णित भूमि सहखातेदारी की भूमि है, जिस पर बकाया सहखातेदारों को प्रथम तो पक्षकार ही नहीं बनाया

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

-क्रमश-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म ... में जा...
	और यदि उन्हे बिना सुने, अस्थाई आदेश पारित किया जाता है या सहखातेदारी की भूमि के उपयोग से वंचित किया जाता है, तो इससे प्रार्थी की बनिस्पत अप्रार्थी को ही अधिक क्षति संभाव्य है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। प्रकरण वर्णित भूमि सहखातेदारी की है, तथा सम्यक पसकारों का अभाव है। एक सहखातेदार के विरुद्ध दूसरे सहखातेदार को अस्थाई आदेश दिया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। गुणावगुण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र R.T. Act. 1955 की धारा 212 की तीन शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार होकर मूलवाद मि० नं० 99/2020 के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 19-01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	